

आदेश दिनांक	आदेश या कार्यवाही मय हस्ताक्षर जज	नम्बर एवं दिनांक अहकाम जो इस आदेश की पालना में जारी हुए।
3 25/3/21	<p>अधिवक्तागण उपस्थित। प्राची अधिवक्ता के द्वारा पत्रावली पर अंकित किया कि प्रतिवादी सं. 1 लक्ष्मण राम खातेदार की मृत्यु हो गयी है। इसलिए उक्त अनवान प्रकरण को आगे नहीं भेजना चाहते हैं। प्राची अधिवक्ता को सुना गया व पत्रावली का अवलोकन किया गया। प्राची द्वारा प्राचीन पत्र अन्तर्गत 212 RTI नोटिफिकेशन करने पर इसी स्तर पर खारिज किया जाता है। व प्रकरण में जारी अस्थायी विवेधाज्ञा दिनांक 14/09/2017 को निरस्त किया जाता है। पत्रावली गिरीत होकर नम्बर से कम हो</p>	<p>उपरोक्त लक्ष्मण राम खातेदार की मृत्यु हो गयी है। प्राची अधिवक्ता को सुना गया व पत्रावली का अवलोकन किया गया। प्राची द्वारा प्राचीन पत्र अन्तर्गत 212 RTI नोटिफिकेशन करने पर इसी स्तर पर खारिज किया जाता है। व प्रकरण में जारी अस्थायी विवेधाज्ञा दिनांक 14/09/2017 को निरस्त किया जाता है। पत्रावली गिरीत होकर नम्बर से कम हो</p> <p>25/3/21</p>

सपरिण्ड आवकारी (राजस्व)
श्रीकरणपुर (श्री गंगानगर)

